

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय पता : वन भवन, तृतीय तल, 85-राजपुर रोड़, देहरादून, 0135-2740391, 2740396 ईमेल-ccfhrd-forest-uk@nic.in

देहरादून दिनांक, 02 जनवरी, 2024

**पदोन्नति आदेश**

इस कार्यालय के पत्रांक 925/1-12 दिनांक 29-12-2023 द्वारा मानचित्रकार से प्रधान मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 27-12-2023 को बैठक आहुत की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित मानचित्रकार वेतनमान रू0 35,400-1,12,400 लेवल 6 को प्रधान मानचित्रकार वेतनमान रू0 35,400-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति की जाती है :-

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं
1	2	3
1	श्री अंकित सिंह राणा	प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्र नगर वन प्रभाग, मुनिकीरती ।
2	श्री राम मनोहर सिंह सजवाण	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3	श्री नवीन विजत्वाण	प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला।

- कार्मिक पदोन्नति पद पर योगदान वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही देंगे। संबंधित कार्मिकों के तैनाती आदेश प्राथमिकता के आधार पर पृथक से जारी किये जायेगे।
- पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (थ्वतहव) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायगी।
- संबंधित कर्मचारी अपनी पदोन्नति आदेश प्रभावी होने की तिथि से 02 सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।
- कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- कार्मिक की पदोन्नति पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त/योगदानके तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

(निशांत वर्मा) 2/1/24

मुख्य वन संरक्षक  
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक  
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्र सं0 1133 (1)/ 1-12 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
- संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF, उत्तराखण्ड को प्रमुख वन संरक्षक, HoFF, महोदय के संज्ञानार्थ।
- मु0व0सं0, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
- अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(निशांत वर्मा) 2/1/24

मुख्य वन संरक्षक,  
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक,  
उत्तराखण्ड देहरादून